संख्या:56/2025/426/35-4-2025/35-4099/43/2025 पार्ट (2)

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 11अप्रैल,2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-वाराणसी में निम्नलिखित कार्यों की रू. **797.61** लाख (रूपये सात करोड सत्तानबे लाख इकसठ हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ण धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लागत लाख रू. में)

क्रम सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	ग्राम सुल्तानपुर में अरविन्द मौर्या के आवास से श्री सूरज मणि त्रिपाठी के आवास होते हुए गौरइया बार्डर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	468	34.68	34.68
2	सुल्तानपुर में श्री बनारसी के आवास से श्री संजय सेठ, श्री राजेन्द्र कन्नौजिया से गौरइया मेन रोड, श्री राजकुमार व पप्पू भारती के आवास होते हुए श्री प्रभु नारायण से श्री सोमारु पटेल के आवास तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	33.30	33.30
3	चाणक्यपुरी कालोनी में श्री उमाशंकर के आवास से श्री फुलबदन, श्री ओपी सिंह, श्री अरुण सिंह, श्री चन्द्रशेखर मिश्र के आवास से होते हुए श्री अनिल सहनी, श्री प्रदीप मास्टर के आवास तक व श्री धरनीधर पाण्डेय से श्री कमलेश तिवारी, श्री राधेश्याम से श्री राजेश तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	469	51.88	51.88
4	ग्राम सुल्तानपुर पिच रोड से श्री अनूप सिंह के आवास तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	62	3.64	3.64
5	ग्राम सुल्तानपुर में श्री नागेन्द्र मिश्रा के आवास से श्री केशव चौबे के आवास तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	108	11.21	11.21
6	ग्राम भीटी में श्री बंसत मौर्य के आवास से श्री हीरा के आवास से होते हुए श्री रामधनी के आवास से सरे मिठ्ठू सोनकर के आवास से होते हु न्यू कालोनी तक इण्टरलाकिग मार्ग निर्माण कार्य।	1262	72.07	72.07
7	सरायनन्दन में मैनवा पोखरी से श्री रामजी मुर्गी वाली गली की ओर कच्ची सडक निर्माण कार्य।	428	12.87	12.87
8	ग्राम भीटी में श्रीमती सीमा तिवारी के आवास से श्री पटेल के प्लाट से होते हुए श्री हनुमान जी के आवास से श्री पटेल के प्लाट तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	183	22.63	22.63
9	वार्ड भगवानपुर में शिव मन्दिर कालोनी में श्री छेदीलाल पटेल से श्री मुन्ना के आवास तक भूमिगत जल निकासी एव इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	192	28.45	28.45
10	वार्ड भगवानपुर से समृद्धि स्कूल से श्रीमती मरकली तक भूमिगत जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	357	34.05	34.05
11	वार्ड भगवानपुर की जानकीनगर कालोनी में श्री दीनबन्धु तिवारी के आवास से राहुल जनरल स्टोर तक भूमिगत जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	230	30.61	30.61

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
12	भगवानपुर में सनबीम स्कूल से श्री दीपक कन्नौजिया के आवास तक व श्री विनय सिंह के आवास से राकेश मौर्या के आवास तक भूमिगत जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	538	31.74	31.74
13	भगवानपुर में गंगा प्रदूषण मुख्य मार्ग से श्याम दयाल निलयम तक भूमिगत जल निकासी इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	120	11.14	11.14
14	भगवानपुर में तारानगर चौराहे से श्री सन्तोष ओझा के आवास से श्री सुरेन्द्र चौबे के आवास से होते हुए श्री अरविन्द राय के आवास एवं श्री राजेन्द्र पटेल के आवास तक भूमिगत जल निकासी एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	933	94.02	94.02
15	ग्राम भीटी में श्रीमती सितारा के आवास से श्री रामवृक्ष के आवास होते हुए श्री नन्दलाल के आवास तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	607	51.18	51.18
16	सरायनन्दन में न्यू कालोनी से केदार नगर जाने वाली ब्रान्च गलियों में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	324	27.13	27.13
17	उत्तरी ककरमत्ता में श्री भरत पटेल के आवास से श्री रामप्रसाद के आवास होते हुए श्रीमती रानी पटेल, श्री धर्मराज के आवास तक भूमिगत जल निकासी व सडक निर्माण कार्य।	489	30.41	30.41
18	उत्तरी ककरमत्ता में श्री राजेन्द्र पटेल के आवास से बनवासी बस्ती होते हुए श्री छेदी पटेल के आवास तक भूमिगत जल निकासी व सडक निर्माण कार्य।	140	8.72	8.72
19	दक्षिणी ककरमत्ता में अनवर हुसैन के आवास से मदरसा होते हुए हाकिम प्रधान के आवास तक सडक निर्माण कार्य।	326	17.24	17.24
20	भिखारीपुर में चौरा माता मन्दिर से सरकारी गल्ले की दूकान होते हुए श्री सेचन पटेल श्रीवास्तव के आवास होते हुए श्री हरी नाथ पटेल, श्री कमला पटेल के आवास तक सडक निर्माण कार्य।	591	29.41	29.41
21	ग्राम भीटी में डा० नेहरु के आवास से श्रीमती कंचन के आवास से होते हुए श्रीमती ज्योत्सना के आवास तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	290	31.76	31.76
22	ग्राम भीटी में श्री अरविन्द पटेल के आवास से शोएब के आवास तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	155	17.89	17.89
23	ग्राम भीटी में डा० संजीव गुप्ता के आवास से श्री अशोक जायसवाल के आवास तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	347	35.88	35.88
24	ग्राम भीटी में श्री सुनिल के आवास से श्री सोनू के आवास तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	138	14.52	14.52
25	ग्राम भीटी में श्री बिल्लू के आवास से श्री बल्लू कन्नौजिया के आवास तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	300	26.02	26.02
26	पुराना रामनगर तपोवन में श्री दशरथ मन्दिर से श्री गीता लाल श्रीवास्तव के आवास तक व श्री रमेश पाण्डेय के आवास से श्री गौरी शंकर के आवास तक व श्री मुकेश कसेरा के आवास तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	429	22.69	22.69
27	पुराना रामनगर कोदोपुर में श्री कौशल शर्मा के आवास से श्री पवन राय के आवास तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	90	12.47	12.47
	योग	**10076**	**797.61**	**797.61**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. कार्य का निर्माण,लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
7. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों,समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
11. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
12. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
13. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
16. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
18. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
19. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
20. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

21. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
22. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
23. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।
24. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
25. प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
26. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्तधन राशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 7,97,61,000/-(रूपये सात करोड सत्तानबे लाख इकसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 5054043370301-**ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के लिए** एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:56/2025/426(1)/ 35-4-2025/35-4099/43/2025 पार्ट (2) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, वाराणसी।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, वाराणसी।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।